04. बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं संस्था/समितियों के अध्यक्ष/मंत्री के साथ एकरारनामा होने के उपरान्त ही कार्यशील पूँजी का भुगतान किया जायेगा।

05. एकरारनामा का प्रारूप (Format) इसके साथ संलग्न है एवं बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना के बेवसाईट www. kvibbihar.com पर भी उपलब्ध है।

06. एकरारनामा में निहित सभी शर्त्तों का अनुपालन खादी संस्थाओं/समितियों को अनिवार्य रूप से किया जायेगा। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं खादी संस्थाओं के मध्य एकरारनामा पर हस्ताक्षर होने के बाद ही स्वीकृत कार्यशील पूँजी (ऋण) का भुगतान किया जायेगा।

07. संस्था/समिति प्रत्येक तीन माह में (त्रैमासिक) में कार्यशील पूंजी की राशि उपयोग के उपरान्त एक व्यय/उपयोग प्रतिवेदन बोर्ड मुख्यालय को समर्पित करेंगें।

08. उक्त स्वीकृत राशि का भुगतान खादी पुर्नरूद्धार योजना मद में प्राप्त राशि से की जाएगी।

09. खादी संस्था/समितियों को कार्यशील पूँजी की राशि का भुगतान उनके बैंक खाते में सीधे RTGS/NEFT के माध्यम से बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना के द्वारा किया जाएगा।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक– खा0/83 पटना, दिनांक–08/08/17

प्रतिलिपि :– उपर्युक्त सभी संस्था/समितियों के अध्यक्ष/मंत्री को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक– खा0/83 पटना, दिनांक–08/08/17

प्रतिलिपि :– उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक लेखा पदाधिकारी (प्र0)/प्रभारी सहायक (खादी पुर्नरूद्धार योजना)/निजी संचिका एवं गार्ड संचिका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक– खा0/83 पटना, दिनांक–08/08/17

प्रतिलिपि :– संबंधित जिला के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/संबंधित जिला खादी ग्रामोद्योग पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक– खा0/83 पटना, दिनांक–08/08/17

प्रतिलिपि :–प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार पटना के सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

15

बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड
महेश भवन, पूर्वी गांधी मैदान पटना –4

कार्यालय आदेश

संचिका संख्या--01 / खा0–10 / 2015–16

बिहार सरकार, उद्योग विभाग की संकल्प संख्या–4671 दिनांक–19.12.2014 द्वारा बिहार में स्थित खादी संस्थाओं को खादी पुर्नरूद्धार योजना के तहत चरखा, करघा एवं कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराया जाना है। उक्त संकल्प के कंडिका 3 तीन के अनुसार संस्था / समितियों को कार्यशील पूँजी ऋण के रूप में दिया जायेगा, जिसपर 4% (चार प्रतिशत) के दर से संस्था / समिति द्वारा ब्याज (सूद) देय होगा।

02. बिहार सरकार, उद्योग विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक सं0–1511 / पटना दिनांक–29.03.2016 के आलोक में ग्राम निर्माण मंडल, सेखोदेवरा, नवादा द्वारा बिहार स्थित जिन 35 संस्था / समितियों के बीच कुल 1000 (एक हजार) त्रिपुरारि मॉडल चरखा उपलब्ध कराया गया है, उन संस्थाओं को ही प्रथम चरण में कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराया जायेगा।

03. प्रधान सचिव, उद्योग विभाग द्वारा महाप्रबंधक को बिहार स्थित खादी संस्था / समितियों को उपलब्ध कराये गये चरखा का सत्यापन हेतु निदेश दिया गया है कि सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर प्रथम चरण में कार्यशील पूँजी आपूर्ति किये गये चरखा के आधार पर प्रति चरखा रू0 47,462.00 (सैंतालीस हजार चार सौ बासठ) रूपये मात्र के दर से भुगतान करने की स्वीकृति दी जाती है।

क्र0	संस्था/समिति का नाम एवं पता	उपलबध कराये गये चरखा की संख्या	कार्यशील पूँजी प्रति चरखा के दर से	कार्यशील पूँजी हेतु भुगतान किये जाने वाली राशि
1	ग्राम निर्माण मंडल, गया	50	47,462.00	23,73,100.00
2	ग्राम निर्माण समिति, कतरपुर, नालन्दा	25	47,462.00	11,86,550.00
3	पूर्वी चम्पारण जिला खादी ग्रामोद्योग संघ, माई स्कॉट एरिया, मोतिहारी	20	47,462.00	9,49,240.00
		95		**45,08,890.00**